



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग मध्य प्रदेश

पंजीयन प्रमाणपत्र

पंजीकरण का विवरण

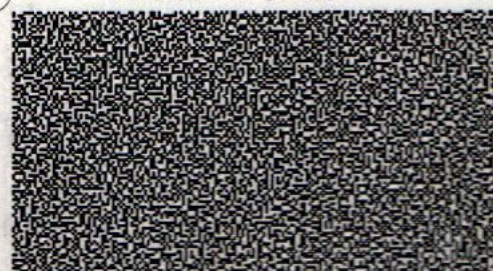
ई पंजीकरण संख्या	MP09592020A1859048
पंजीकरण की तिथि	18/12/2020
ई-पंजीयन प्रमाणपत्र के प्रिन्ट करने की तिथि	30/12/2020
संपत्ति का मूल्य(यदि लागू है)	--
प्रतिफल राशि / प्रतिभूत राशि / प्रीमियम राशि (रुपये)	NA
पंजीयन शुल्क (रुपये)	500
कुल स्टाम्प शुल्क (रुपये)	1000
उप पंजीयक का नाम	ANAND SHRIVASTAVA
उप पंजीयक कार्यालय का नाम	उप पंजीयक कार्यालय दतिया

ट्रस्टी - स्वयं

संगठन का नाम	दया भावना फाउंडेशन
अधिकृत व्यक्ति का नाम	अनुपम चौधरी जैन
पता	सोनागिर(सिनावल)475685तहसील बडौनी जिला दतिया म०प्र० , दतिया, मध्य प्रदेश, भारत
संगठन का नाम	दया भावना फाउंडेशन
अधिकृत व्यक्ति का नाम	शैलेन्द्र जैन
पता	सोनागिर(सिनावल)475685 तहसील बडौनी जिला दतिया म०प्र० , दतिया, मध्य प्रदेश, भारत
संगठन का नाम	दया भावना फाउंडेशन
अधिकृत व्यक्ति का नाम	महावीर जैन
पता	सोनागिर(सिनावल)475685तहसील बडौनी जिला दतिया म०प्र० , दतिया, मध्य प्रदेश, भारत

Digitally signed by
ANAND
SWAROOP
SHRIVASTAVA
Date: 2020.12.30
16:03:53 IST

उप पंजीयक के हस्ताक्षर





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग मध्य प्रदेश



स्टाम्प शुल्क का प्रमाण पत्र

ई स्टाम्प विवरण

ई स्टाम्प कोड	01010918122020008704
ई स्टाम्प राशि (रुपए)	1000
शासकीय स्टाम्प ड्यूटी (रुपए)	1000
जनपद ड्यूटी (रुपए)	0
छूट दी गई राशि (रुपए)	0
नगर पालिका ड्यूटी (रुपए)	0
उपकर राशि (रुपए)	0
ई स्टाम्प का प्रकार	गैर न्यायिक
निर्गमन तिथि एवं समय	18/12/2020 14:32:57
यूजर आईडी / जारीकर्ता	lalta prasad kori/SP010944607202000070
एस पी / एस आर ओ /	बार्ड क्र० 2 बस स्टैंड के पास बडौनी तहसील बडौनी जिला दतिया म०प्र०
डी आर ओ / एच ओ विवरण	BADONI दतिया

डीड विवरण

विलेख का प्रकार	न्यास
लिखत	(ख) किसी अन्य मामले में; एक हजार रूपए.
उद्देश्य	न्यास(ट्रस्ट)

पहले पक्ष के विवरण

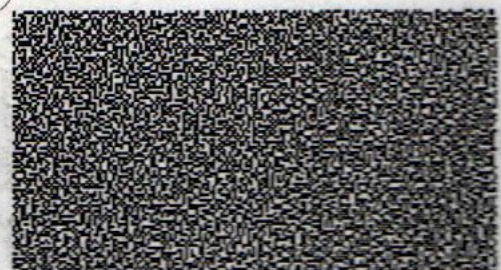
संगठन का नाम	दया भावना फाउंडेशन
पता	सोनागिर(सिनावल)475685तहसील बडौनी जिला दतिया म०प्र०
व्यक्तियों की संख्या	3

दूसरे पक्ष के विवरण

नाम	--
पता	--
व्यक्तियों की संख्या	--

ट्रस्ट का घोषणा पत्र

-----ट्रस्ट का यह घोषणा पत्र आज दिनांक 1.12.2020 को (1) अनुपम चौधरी जैन आयु 46 वर्ष पुत्र श्री एन.आर.चौधरी निवासी R17 न्यू कुशलनगर,गाँधीनगर के पास पड़ाव ग्वालियर तहसील ब जिला ग्वालियर म०प्र० (2)शैलेन्द्र जैन आयु 54 वर्ष पुत्र कपूरचन्द्र जैन निवासी गल्लामण्डी मुरार ग्वालियर तहसील ब जिला





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग मध्य प्रदेश

ग्वालियर म०प्र० (3) महावीर जैन आयु 56 वर्ष पुत्र शंकरलाल जैन निवासी गंगा माई मोहनपुर संतर मुरार
ग्वालियर तहसील ब जिला ग्वालियर म०प्र० |
आधार क्र० 701673686160, 326082947598, 520829400731

ट्रस्ट का घोषणापत्र :--इन उपविधियों (बायलाज) का सृजन "दया भावना फाउंडेशन" हेतु किया गया है। "दया भावना फाउंडेशन" आचार्य विद्यासागर के परम शिष्य मुनि श्री अविचलसागरजी महाराज जी के मंगल भावना, प्रेरणा व आशीर्वाद से सभी न्यासी गणों की सहमती से सृजन किया जा रहा है और इन्हीं उपविधियों के अंतर्गत न्यास का संचालन किया जाता रहेगा।

अतएव यह उपविधियां आज दिनांक 01/12/2020 को न्यासीगणों के द्वारा "दया भावना फाउंडेशन" के विधान के रूप में स्वीकार की जाकर घोषित किया जाता है।

तदुपरांत संस्थापकगण ने इस घोषणा पत्र में उल्लेखित ट्रस्टियों को ट्रस्ट फंड की रकम रुपये 11000/- (अक्षरी ग्यारह हजार रुपया) नगद में इस लेख का निष्पादन कर न्यास के संचालनार्थ दे दिये हैं।

अतः इस लेख द्वारा घोषित किया जाता है कि :-

1. ट्रस्ट का नाम :-- "दया भावना फाउंडेशन"

2. ट्रस्ट कार्यालय का पता :-- "दया भावना फाउंडेशन" सोनागिर (सिनावल) 475685 तहसील बडौनी जिला दतिया म०प्र०।

3. ट्रस्ट का प्रारंभ :-

ट्रस्ट का प्रारंभ दिनांक 01/12/2020 से माना जावेगा तथा इसी दिनांक से न्यास एवं उसके अंतर्गत बनाये गये सभी नियम लागू माने जावेंगे।

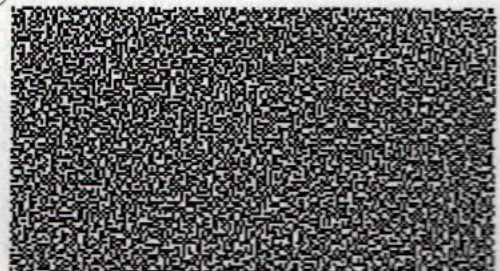
4. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र :--

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत रहेगा।

5. ट्रस्ट की निधि एवं सम्पत्ति :--

वर्तमान में ट्रस्ट की निधि रुपये 11000/- रु० (ग्यारह हजार रुपया) होगी, उक्त ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समय समय पर प्राप्त होने वाली राशि जो कि दान सहायता या अन्य रूप से ट्रस्ट निधि के लिए प्राप्त होगी, वह ट्रस्ट की निधि मानी जावेगी। इस घोषणा पत्र में आगे ट्रस्टिज अथवा किसी भी प्रकार के मेम्बर से प्राप्त प्रारंभिक राशि अथवा जीवनकाल सदस्यता शुल्क भी ट्रस्ट की निधि मानी जावेगी। ट्रस्टीगण का यह कर्तव्य होगा, कि वे मूलधन को यथा संभव सुरक्षित रखकर उससे होने वाली आय, किराया, ब्याज, डिबिडेड, दान सहायता या अन्य प्रकार से प्राप्त आय से ट्रस्ट की व्यवस्था हेतु खर्च एवं ट्रस्ट प्रापर्टी के कर एवं मटेनेंस पर खर्च, कानूनी खर्च, टेक्सेस आदि का भुगतान कर बाकी राशि अधिकतम रूप से ट्रस्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु खर्च

MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
P-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग मध्य प्रदेश

प्रस्तुति मुद्रा :

दया भावना फाउंडेशन

प्रतिनिधित्व:- अनुपम चौधरी जैन



मोह



के द्वारा उप जिला दतिया

जिला दतिया के उप पंजीयक कार्यालय में तारीख 18/12/2020 को मध्याह्न पूर्व/मध्याह्न पश्चात 06:09:40 बजे प्रस्तुत किया गया।

ANAND SHAROO

ANAND SHAROO
SHRIVASTAVA
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय दतिया

MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
P-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग मध्य प्रदेश

करोगे।

6. ट्रस्टीज :--

क्र०।नाम पिता/पति का नाम। पता। व्यवसाय। पद

1. महावीर जैन पुत्र शंकरलाल गंगा माई व्यवसाय मुख्य ट्रस्टी
जैन संतर मुरार ग्वालियर

2. अनुपम चौधरी जैन पुत्र कुशलनगर पड़ाव व्यवसाय कोषाध्यक्ष
एन.आर. चौधरी ग्वालियर

3. शैलेन्द्र जैन पुत्र कपूरचन्द्र जैन गल्लामण्डी व्यवसाय महामंत्री
मुरार ग्वालियर (सचिव)

ये सभी प्रारंभिक "फाउन्डर ट्रस्टी" कहलायेंगे।

7. ट्रस्ट के उद्देश्य :--

इस ट्रस्ट के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

- समाज सेवा एवं समाजजन के हित में
- शिक्षा, शिक्षा का प्रशिक्षण एवं शिक्षा की खोज के विभिन्न भागों और शाखाओं को संचालित एवं संगठित करने के लिए सहायता प्रदान करने, जिसमें ओषधि संबंधी (मेडिकल) महाविद्यालय, दंत महाविद्यालय, चिकित्सालय, पेरामेडिकल एवं वैकल्पिक चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग स्कूल एवं कालेज, भारतीय चिकित्सा पद्धति महाविद्यालय (आयुर्वेद) होमोपैथी और अल्टरनेट मेडिसिन एवं प्राइमरी व सेकेंडरी स्वास्थ्य केन्द्रों को स्थापित करना तथा प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापना एवं उनका संचालन करना, सुपरस्पेशल स्वास्थ्य सेवाएँ जिसमें डाईग्नोस्टिक, थेराप्युटिक, पैथालाजी, पिबेन्टिव, मेटरनिटी, ओपरेटिव एवं अन्य समस्त मेडिकल एवं चिकित्सकीय सुविधाएँ सम्मिलित हैं, इत्यादि की स्थापना, संचालन एवं अधिग्रहण करना।
- कन्या विद्यालय छात्रवास, मेडिकल हास्पिटल एवं इससे संबंधित समस्त गतिविधियों की स्थापना, संचालन एवं प्रबन्ध करना।
- समाज के अन्य कमजोर भागों को प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कल्याण से संबंधित सुविधाएँ प्रदान करना।





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

निष्पादन की मुद्रा :

दया भावना फाउंडेशन

प्रतिनिधित्व:-

महावीर जैन

पता: सोनागिर(सिनावल)475685तहसील बडौनी जिला
दतिया म०प्र०

स्वीकार करते हैं कि कथित न्यास विलेख का निष्पादन किया गया था और प्रतिफल के पूर्ण रूप 0 प्राप्त हो गये हैं तथा रूप 0 उन्हें मेरी उपस्थिति में चुकाये गये थे और प्रतिफल की बकाया रकम रूप 0 बच गयी है, जो पंजीयन के बाद प्राप्त होगी । तारीख 18/12/2020

ANAND SHAROOP
SHRIVASTAVA
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय दतिया



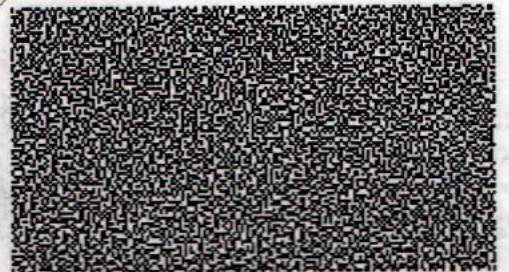
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
P-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग मध्य प्रदेश

5. समाज के गरीब एवं प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को अध्ययन एवं शिक्षण हेतु छात्रवृत्ति देना, विद्वार्थियों के लिए छात्रावास की स्थापना करना। योग्य छात्रों को निशुल्क पुस्तकें देना, गरीब व जरूरतमंद मरीजों/व्यक्तियों की चिकित्सा के लिए विशेष फंड की व्यवस्था करना एवं उन्हें चिकित्सा उपलब्ध कराना। कामकाजी महिलाओं, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं कार्यालय के वाहकों के लिए होस्टल एवं निवास की व्यवस्था करना।
6. धार्मिक पत्र-पत्रिका, समाचार पत्र, किताबें एवं पेम्लेटस को छापना एवं प्रकाशित करना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर अतिरिक्त तरीकों से सामयिक भाषण, सभाएँ आयोजित करना।
7. किसी भी व्यक्ति, निगम, सरकार या सामाजिक हितार्थ हेतु ट्रस्ट से नगद या किसी भी रूप में चंदा, दान, उपहार या वसीयत प्राप्त कर सकती है।
8. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भूमि, प्लॉट, भवन खरीदना, लीज या किराये पर प्राप्त करना, विनियम द्वारा प्राप्त करना, दान में प्राप्त करना अथवा इनके निर्माण हेतु फंड स्थापित करना।
9. ट्रस्ट द्वारा अपनी किसी भूमि या मैदान को उपयोगी, योग्य बनाने हेतु निर्माण करना या अपनी किसी अचल सम्पत्ति को किराये पर देना, मरम्मत करना, उसमें ब्रद्धि करना।
10. ट्रस्ट अपने एक लक्ष्य या एक अधिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए दानकर्ता द्वारा बनाई गई, बगैर किसी शर्त के या किसी विशेष ट्रस्ट की शर्त पर दानकर्ता से नगद या किसी अचल सम्पत्ति के रूप में प्राप्त या स्वीकृत कर सकती है।
11. ट्रस्ट अपने फंड की प्राप्ति हेतु दान, वसीयत, वार्षिक पेमेंट आवश्यकता अनुसार समय समय पर सार्वजनिक सभा, अपील, प्रदर्शनी का आयोजन कर प्राप्त कर सकती है।
12. ट्रस्ट अपने अधिपत्य की सम्पत्तियों का विक्रय, व्यवस्था, स्थानांतरण, विनियम, गिरवी, नष्ट या सौदा कर सकती है।
13. ट्रस्ट अपने अधिपत्य की चल या अचल सम्पत्तियों को गिरवी रखकर या अन्य किसी जमानत या बगैर जमानत पर ऋण लेकर अपनी धन राशि में ब्रद्धि कर सकती है। 14. ट्रस्ट अपने फंड या अन्य किसी फंड का कुछ भाग, प्रारंभिक व्ययों एवं प्रबन्ध एवं प्रशासन से संबंधित व्ययों जैसे किराया, वेतन एवं कर के रूप में व्यय कर सकती है।
15. ट्रस्ट अपने अधिपत्य की राशि का वर्तमान में जरूरत ना होने पर ट्रस्ट एवं आयकर अधिनियम के तहत निवेश कर सकती है एवं उसकी समय समय पर गणना कर सकती है।
16. ट्रस्ट किसी अन्य ट्रस्ट या संस्था जोकि पंजीकृत हो या ना हो, किन्तु उनके उद्देश्य हमारे उद्देश्य के समान है पर अधिपत्य कर सकती है व उसके साथ एकीकृत भी हो सकती है।





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

गवाह मुद्रा :

anilkumar verma

पुत्र/आत्मज rameshchandra

पता: badoni dist. datia

neeraj jain

पुत्र/आत्मज vijaykumar

पता: bundela colony datia

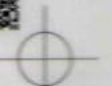
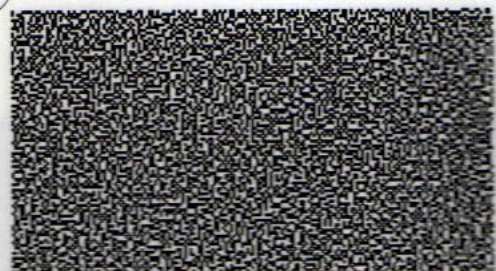
की जांच पूर्वोक्त निष्पादक / निष्पादकों की शिनाख्त के विषय में की गयी है । तारीख 18/12/2020

ANAND SHAROOP

SHRIVASTAVA

उप पंजीयक

उप पंजीयक कार्यालय दतिया





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग

मध्य प्रदेश

17. सामान्यता: ट्रस्ट अपने उद्देश्यों के किसी भाग को संचालित करने हेतु या प्रासंगिक रूप से सभी अन्य अधिनियम, सलेखों और अन्य आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा कर सकती है।

18. कोई व्यक्ति भी पारमार्थिक कार्य करना अथवा पारमार्थिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन हेतु संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को सहायता एवं सहयोग प्रदान करना।

19. प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़, तूफान, भूकम्प, सुखा आदि से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करना।

20. जिनालय, मन्दिर, धर्मशाला, यात्री आवास, भोजनालय, तिर्थनिर्माण करना, खेल मैदान आदि विकास कार्य करना, संरक्षित करना तथा संचालन करना।

21. भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त राशि, भूमि (लीज) का जीव कल्याण हेतु उपयोग करना, तिर्थनिर्माण करना।

22. ऐसे समस्त कार्य करना, आयकर अधिनियम 1961 में चेरिटेबल एवं पारमार्थिक मान्य किए जाते हैं।

23. आचार्य विद्यासागर गौशाला का संचालन करना तथा पशु, पक्षी, जीवजन्तु के कल्याणार्थ कार्य करना।

24. गजरथ, महामस्तकाभिषेक, महायज्ञ, पंचकल्याणक, जिनालय, जैन मंदिरों का निर्माण करना तथा संत निवास, व्रती आवास, शुद्ध भोजनालय निर्माण करना एवं जैन अंम संरक्षकों के कल्याणार्थ कार्य करना।

(8) ट्रस्ट का आर्थिक वर्ष :--

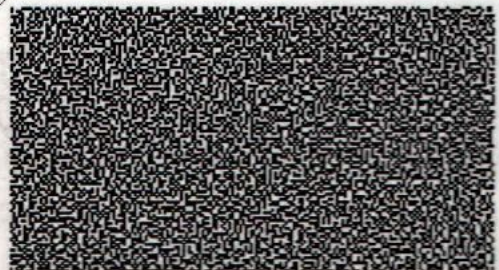
इस ट्रस्ट का हिसाब वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च रहेगा।

(9) वर्किंग ट्रस्टीज :--

ट्रस्ट की गतिविधियों को सुचारू रूप चलाने के लिए प.पु.मुनि श्री अविचलसागर जी महाराज जी को यह अधिकार होगा, कि वे किन्हीं उपयुक्त व्यक्तियों को वर्किंग ट्रस्टीज के रूप में नियुक्त करें। ऐसे वर्किंग ट्रस्टीज का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।

10. ट्रस्ट समिति :--

ट्रस्ट समिति के सदस्य इस ट्रस्ट के सभी स्थायी सदस्य रहेंगे। वर्किंग ट्रस्टीज ट्रस्ट समिति में विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में ट्रस्ट समिति की बैठकों में भाग ले सकेंगे एवं ट्रस्ट की विभिन्न गतिविधियों में अपनी राय दे सकेंगे, किन्तु सभी निर्णय उपस्थित स्थायी ट्रस्टीज के बहुमत से एवं अंतिम निर्णय मुनि श्री अविचलसागर जी महाराज से लिए जायेंगे।





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

अंगुष्ठ चिन्ह मुद्रा :



महेश



इस दस्तावेज के निष्पादक अनुपम चौधरी जैन के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 18/12/2020 को लिया गया ।

महेश

ANAND SHAROOP
SHRIVASTAVA
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय दतिया



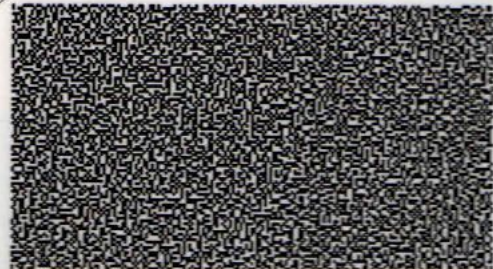
शैलेन्द्र



इस दस्तावेज के निष्पादक शैलेन्द्र जैन के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक 18/12/2020 को लिया गया ।

महेश

ANAND SHAROOP
SHRIVASTAVA
उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय दतिया





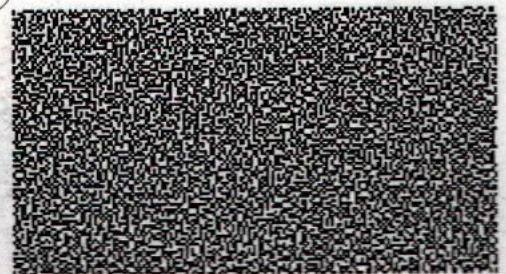
रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग मध्य प्रदेश

ट्रस्ट समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :- 1. अध्यक्ष 2. उपाध्यक्ष 3. महामंत्री 4. कोषाध्यक्ष 5. सह कोषाध्यक्ष

11. संशोधन :- इस ट्रस्ट पंजीयन से पूर्व एक दया भावना ट्रस्ट ग्वालियर के नाम व कार्यालय-जैन मंदिर संतर मुरार ग्वालियर म०प्र० के पते पर एक ट्रस्ट डीड क्र० MP142592020A1143110 दिनांक 24/02/2020 को कार्यालय वरिष्ठ उपपंजीयक ग्वालियर वृत्त-2 ग्वालियर में अशोककुमार जैन पुत्र श्री किशनलाल जैन निवासी मुरार ग्वालियर एवं आशीष जैन पुत्र श्री अमरचन्द्र जैन निवासी मुरारगिर्द ग्वालियर, शैलेन्द्रकुमार जैन पुत्र कपूरचन्द्र जैन निवासी गंज मुरार ग्वालियर, नरेन्द्र जैन पुत्र श्री हरीशचन्द्र जैन निवासी मुखर्जी नगर मुरार ग्वालियर, कन्हैयालाल जैन पुत्र श्री बृजलाल जैन निवासी गैस एजेंसी के पास मुरार ग्वालियर, प्रदीपकुमार जैन पुत्र नरेशकुमार निवासी दूध गली सदर बाजार मुरार ग्वालियर, के हस्ताक्षरों से संपादित की गई थी, उक्त ट्रस्ट डीड मुनि श्री 108 अविचलसागर जी महाराज की प्रेरणा से एवं उनके निर्देशानुसार पारमार्थिक कार्यों हेतु संपादित की थी, जिसमें मुख्य रूप से सोनागिर जिला दतिया में गौशाला का संचालन किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन इस ट्रस्ट का मुख्यालय ग्वालियर होने के कारण कार्य करने में असुविधा होने से उक्त ट्रस्ट को भंग/विघटन करते हुए सर्व समिति से तय कर उक्त ट्रस्ट द्वारा न्यासी प्रदीपकुमार जैन निवासी दूध गली सदर बाजार मुरार ग्वालियर के हस्ताक्षर से भूमि सर्वे नम्बर 582 रकबा 0.05 हे०, सर्वे न० 591 रकबा 0.12 हे०, सर्वे न० 593 रकबा 0.11 हे०, सर्वे न० 594 रकबा 0.10 हे०, सर्वे न० 597 रकबा 0.07 हे० कुल किता 5 कुल रकबा 0.45 हे० स्थित ग्राम सिनावल पटवारी ह० न० 8 रा० नि० म० बडौनी तहसील बडौनी जिला दतिया में भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तका क्र० L/E 521225 से जरिये ई-विक्रय पत्र क्र० MP09592020A1465903 दिनांक 10/08/2020 द्वारा क्रय की थी, चूंकि उक्त सम्पत्ति दया भावना ट्रस्ट ग्वालियर के नाम था।

,इसलिए उक्त विक्रय पत्र में नाम की विसंगति को दूर करने के लिए, उक्त दया भावना ट्रस्ट ग्वालियर एवं उसके द्वारा उपरोक्त क्रय सम्पत्ति को आज इस ट्रस्ट जो दया भावना फाउंडेशन बडौनी रोड सिनावल(सोनागिर)तहसील बडौनी जिला दतिया म०प्र० के नाम से पंजीकृत कराया जा रहा है, जिसमें सम्पूर्ण चल-अचल सम्पत्ति समायोजित करते हैं, अब भविष्य में उक्त सम्पत्ति के समस्त अधिकार दया भावना फाउंडेशन के रहेंगे एवं पूर्व पंजीकृत दया भावना ट्रस्ट ग्वालियर पता मुरार ग्वालियर न्यास भंग किया गया है व अब उसके न्यासीगणों का इस न्यास पर कोई हक एवं अधिकार नहीं होगा तथा भविष्य में किसी प्रकार के हक व अधिकार अर्थात् स्वत्व, स्वामित्व एवं अधिपत्य संबंधी किसी भी प्रकार के अधिकार के मांग नहीं कर सकेंगे। क्योंकि आज से सम्पूर्ण सम्पत्ति दया भावना फाउंडेशन में समायोजित हो गई है, अब हम दया भावना ट्रस्ट ग्वालियर मुरार ग्वालियर का व उसके न्यासियों का, इस न्यास व उसकी सम्पत्ति व नवीन न्यास व उसकी सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का हक व अधिकार नहीं होगा। अब भविष्य में दया भावना ट्रस्ट मुरार ग्वालियर म०प्र० के नाम से क्रय सम्पत्ति के स्वामी दया भावना फाउंडेशन बडौनी रोड सिनावल(सोनागिर)तहसील बडौनी जिला दतिया म०प्र० का होगा।

12. संरक्षक :- ट्रस्ट समिति के स्थायी ट्रस्टीगण को यह अधिकार होगा, कि वे अपनी विभिन्न गतिविधियों के लिए उस गतिविधि से संबंधित किसी योग्य व्यक्ति को उस गतिविधि के लिए संरक्षक अथवा सलाहकार के रूप में नियुक्त





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग मध्य प्रदेश

अंगुष्ठ चिन्ह मुद्रा :



18/12/2020



इस दस्तावेज के निष्पादक महावीर जैन के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में
दिनांक 18/12/2020 को लिया गया ।

ANAND SHAROOOP

SHRIVASTAVA

उप पंजीयक

उप पंजीयक कार्यालय दतिया

गवाह मुद्रा :



anilkumar verma



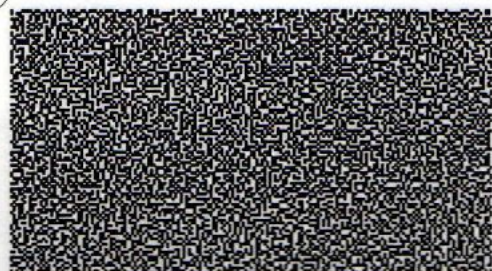
anilkumar verma



neeraj jain



neeraj jain



MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
P-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग

मध्य प्रदेश

करे, जिससे उस व्यक्ति की योग्यता, अनुभव, ज्ञान एवं दक्षता का लाभ ट्रस्ट की उक्त गतिविधि के लिए मिल सके। अब आवश्यकता अनुसार ऐसे संरक्षक एवं सलाहकार को पारिश्रमिक या भत्ते भी दिए जा सकेंगे।

(अ) संरक्षक :--

प्रारंभ में ट्रस्ट के निम्नलिखित संरक्षक होंगे :--

1. डॉ. निर्देश जैन आयु 40 वर्ष निवासी झाँसी उ०प्र०
2. राजेश जैन आयु 58 वर्ष निवासी बरुआसागर उ०प्र०
3. ताराचन्द्र जैन आयु 48 वर्ष निवासी कोटा राजस्थान

(ब) प्रारंभ में ट्रस्ट के निम्नलिखित परामर्शदाता होंगे :--

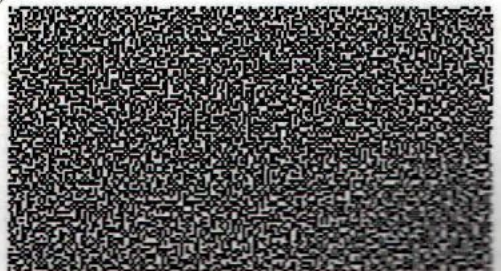
1. के. एल. जैन आयु 65 वर्ष निवासी ग्वालियर म०प्र०
2. नरेन्द्र जैन आयु 42 वर्ष निवासी ग्वालियर म०प्र०
3. आशीष जैन आयु 38 वर्ष निवासी ग्वालियर
4. विरेन्द्र जैन आयु 42 वर्ष निवासी ललितपुर उ०प्र०
5. पवन जैन (गंगवाल) आयु 50 वर्ष निवासी केवडी राजस्थान
6. रोहित जैन आयु 35 वर्ष निवासी ग्वालियर म०प्र०
7. राजकुमार जैन एडवोकेट पुरजा हाईकोर्ट ग्वालियर म०प्र०

(13) अध्यक्ष :--

1. ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. सदस्यता पर आये आवेदनों पर सर्व सम्मति से निर्णय करना।
3. ट्रस्ट के निर्धारित कार्यों पर ध्यान देना।
4. आवश्यकतानुसार समिति अथवा उपसमिति का निर्माण करना और उनका संचालन करना।
5. प.पु.मुनिश्री अविचलसागर जी महाराज जी के निर्देशों का पालन करना।

(14) उपाध्यक्ष :--

1. ट्रस्ट के सभी कार्यों का संचालन करना।
2. वित्तीय और अन्य कार्यों का संचालन करना।
3. ट्रस्ट की मीटिंग की व्यवस्था करना।
4. मीटिंग में सर्व सम्मति से पारित निर्णयों पर कार्य करना।
5. ट्रस्ट के कागज, बिल, पत्राचार, धन संबंधी प्रामियाँ भुगतान आदि कार्य करना।
6. प्रशासनिक व्यवस्था देखना।
7. प.पु.मुनिश्री अविचलसागर महाराज जी के निर्देशों का पालन करना।





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

स्टाम्प शुल्क मुद्रा:

स्टाम्प शुल्क	1000
नगरीय शुल्क	0
जनपद पंचायत शुल्क	0
उपकर	0
अतिरिक्त शुल्क	0
चुकाया गया स्टाम्प शुल्क	1000

ANAND SHAROO

ANAND SHAROO

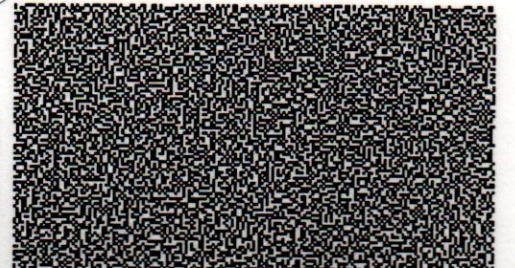
SHRIVASTAVA

उप पंजीयक

उप पंजीयक कार्यालय दतिया



MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
P-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग

मध्य प्रदेश

(15) कोषाध्यक्ष :-

1. न्यास के विधियों का परिक्षण व नियंत्रण रखेगा।
2. ट्रस्ट के सम्पूर्ण आय-व्यय पर कार्य देखेगा।
3. प्रत्येक माह ट्रस्ट का आय-व्यय ट्रस्टियों के सन्मुख रखेगा।
4. आर्थिक मामलो से संबंधी सर्व कार्य प्रणाली का संचालन करेगा।

(16) सहकोषाध्यक्ष :-

कोषाध्यक्ष की अनुपस्थितिओं में उनके कार्य देखेगा।

(17) परमसंरक्षक :-

ट्रस्ट के लिए 11 लाख रुपया देने वाले परमसंरक्षक होंगे, इसका निर्णय मुनिश्री अविचलसागर जी करेंगे।

(18) ट्रस्ट का संचालन :-

ट्रस्ट के संचालन हेतु ट्रस्टीज अधिनियम बनावेंगे, जोकि ट्रस्ट की बैठक में पारित किए जावेंगे एवं इसके अनुसार ट्रस्ट की संचालन व्यवस्था की जावेगी। ट्रस्टीगण चाहे तो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग समिति बना सकेंगे और समिति का कार्य क्षेत्र तथा कार्य प्रणाली की व्यवस्था हेतु अधिनियम बना सकेंगे।

(19) ट्रस्ट समिति की बैठक एवं कोरम :-

ट्रस्टियों की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य रूप से होगी। किन्तु आवश्यकता अनुसार कभी कभी 21 दिन पूर्व ट्रस्टियों को सूचना देकर की जा सकेगी। ट्रस्ट समिति की बैठक वर्ष में 2 बार अवश्य होगी। किन्तु आवश्यकता अनुसार वर्ष में कभी भी बुलाई जा सकेगी। जिसके लिए 7 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा। सभी बैठको के लिए गणपूर्ति याने कोरम की संख्या 1/2 रहेगी। बैठक का कोरम पूरा ना होने की दशा में बैठक स्थगित होकर आधे घंटे के बाद कि जावेगी, यदि ऐसी बैठक के कोरम की उपस्थिति नहीं रही तो भी ट्रस्ट की बैठक विषय सूचि (एजेंडा) के अनुसार कार्य कर प्रस्ताव पारित किए जा सकेंगे। ट्रस्ट की समस्त मीटिंगे मुनिश्री अविचलसागर जी महाराज के सानिध्य में होंगी और उनके ज्ञान में लाये बिना किसी भी प्रकार का निर्णय ट्रस्ट की बैठको में नहीं लिया जायेगा।

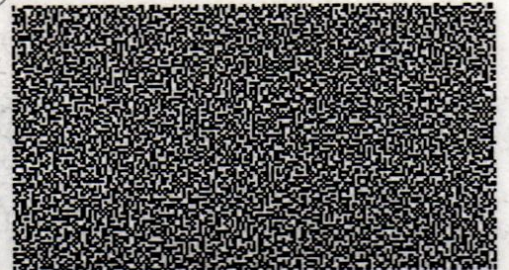
(20) ट्रस्ट के निर्णय :-

ट्रस्ट के सभी निर्णय बहुमत से लिए जावेंगे एवं अंतिम निर्णय प.पु. मुनिश्री अविचलसागर जी महाराज के समक्ष ही होगा।

आवश्यकता अनुसार परिपत्र प्रस्ताव द्वारा भी निर्णय लिए जा सकेंगे, किन्तु निम्नलिखित कार्यों के लिए दो तिहाई बहुमत होना आवश्यक होगा :-

- (1) अचल सम्पत्ति कि खरीदी एवं बिक्री करने वावत।
- (2) किसी ट्रस्टी को ट्रस्टी पद से अलग करने के लिए।
- (3) किसी ट्रस्टी को नियुक्त करने के लिए।
- (4) ट्रस्ट डीड में संशोधन करना।
- (5) चुनाव करना है या नहीं इसका निर्णय अविचलसागर जी महाराज द्वारा निर्णित होगा एवं चुनाव नहीं होने कि स्थिति में मुनि श्री अविचलसागरजी महाराज द्वारा मनोनीत को पद कार्य सौंप दिया जाएगा।

MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
P-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग

मध्य प्रदेश

(21) ट्रस्ट निधि का विनियोग :--

ट्रस्ट अपने उद्देश्यों के पूर्ति हेतु प्राप्त राशियों में से खर्च करने के पश्चात् जो शेष रकम रहेगी, वह राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक में अथवा चल सम्पत्ति अथवा शासकीय प्रतिभूतियों में रहेगी, कोई भी ट्रस्टी अथवा समिति का सदस्य अथवा पदाधिकारी ट्रस्ट की सम्पत्ति में से व्यक्तिगत लाभ ट्रस्ट के नियमों के विरुद्ध नहीं ले सकेगा, ट्रस्टीगण ट्रस्ट निधि के विनियोग में रद्दोबदल (परिवर्तन) कर सकेंगे। किन्तु ऐसा सभी विनियोग समय समय पर लागू किसी भी ट्रस्ट एवं आयकर अधिनियम व अन्य कानून के दायरे में रहकर ही किया जावेगा।

(22) बैंक खाता :--

बैंक खाते का संचालन अध्यक्ष, मैनेजिंग ट्रस्टी एवं अन्य अधिकृत व्यक्ति में से किन्हीं भी दो के संयुक्त हस्तक्षर से किया जावेगा। विभिन्न गतिविधियों के लिए यदि आवश्यकता हुई तो उक्त गतिविधि के नाम से विभिन्न बैंकों में खाते खोले जा सकेंगे एवं उनके संचालन का अधिकार ट्रस्ट समिति में पारित प्रस्ताव के अनुसार किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से दिया जा सकेगा।

(23) ट्रस्ट पद की समाप्ति :--

ट्रस्ट पद की समाप्ति निम्नकारणों के मानी जावेगी :--

(अ) मृत्यु हो जाने पर।

(ब) पागल या अन्य प्रकार से अयोग्य हो जाने पर।

(स) नादान घोषित होने पर।

(द) त्यागपत्र देने तथा स्वीकृत होने पर।

(इ) यदि कोई ट्रस्टी ट्रस्ट का कार्य करने में असमर्थ हुआ या कार्य करने में दिलचस्पी नहीं रखे तो ऐसी दशा में समिति को यह अधिकार होगा कि ऐसे ट्रस्टी महोदय को समिति से अलग कर दे, किन्तु इस कार्य के लिए दो तिहाई बहुमत अनिवार्य होगा।

(24) ट्रस्ट समिति के रिक्त स्थानों की पूर्ति :--

किसी भी ट्रस्टी का पद, कोई भी कारण से रिक्त होने उसकी पूर्ति ट्रस्टीगण प.पु.मुनि श्री अविचलसागर जी महाराज जी के सहमति से ट्रस्ट का पद भरा जाएगा।

(25) ट्रस्ट समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :--

(अ) ट्रस्ट की सम्पत्ति का संरक्षण करना।

(ब) ट्रस्ट के हित में संरक्षण हेतु यदि कोई कानूनी कार्यवाही करना पड़े, तो उसके लिए बकील, मुह्तयार, कर्मचारी आदि की नियुक्ति करना तथा उनका पारिश्रमिक ठहराने एवं समय अनुसार भुगतान का अधिकार ट्रस्ट समिति को रहेगा।

(स) ट्रस्ट की लेना रकमों की बसूली करना और इस वावद भरपाई देने का अधिकार ट्रस्ट समिति को रहेगा।

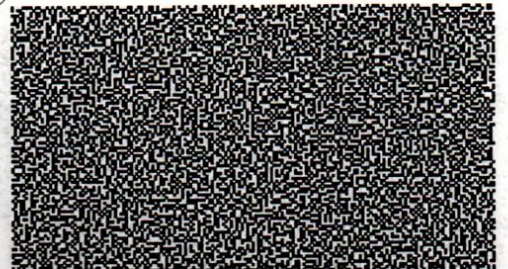
(द) आर्थिक वाद के लिए पंच फैसले द्वारा निर्णय लेने के लिये भी ट्रस्ट समिति सक्षम रहेगी।

(इ) ट्रस्ट की व्यवस्था के लिये पदाधिकारी नियुक्त करने का अधिकार ट्रस्ट समिति को रहेगा।

(फ) ट्रस्ट की आमदनी, खर्च व सम्पत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार के दस्तावेज लिखने का अनुबंध करने का, पावती देने का अधिकार मैनेजिंग ट्रस्टी को रहेगा।

(च) व्यवस्था हेतु उपनियम बनाने का अधिकार ट्रस्ट समिति को रहेगा।

(क) ट्रस्ट पदाधिकारियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करना।

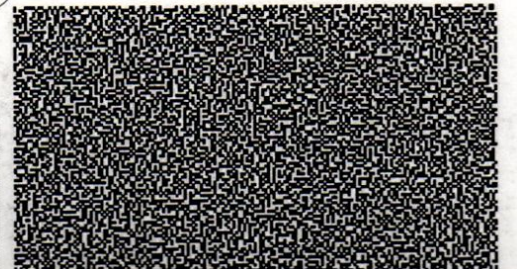




रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग मध्य प्रदेश

- (ख) ट्रस्ट के संचालन हेतु उपनियम बनना।
(ग) ट्रस्ट की सम्पत्ति का विनियोग करना।
(घ) ट्रस्ट की सम्पत्ति किराये से देने की व्यवस्था करना।
(ङ) सदस्यों की बैठक बुलाना तथा आवश्यकता अनुसार उपसमितियों का गठन करना एवं उनके कार्यों पर नियंत्रण करना।
(छ) ट्रस्ट का लेखा नियमित रूप से रखने वावत व्यवस्था करना तथा ऑडिटर की नियुक्ति करना व उसका पारिश्रमिक स्वीकृत करना, हिसाब का निरीक्षण कर उसको समिति द्वारा पास कराने हेतु मीटिंग बुलाना तथा बजट तैयार करना एवं पास करना।
(ज) कर्मचारी की नियुक्ति व खर्च एवं सेवा शर्त निर्धारित करना, ट्रस्ट के कार्य हेतु सलाहकार, बकील, पंच आदि की नियुक्ति करना, ट्रस्टियों को विवादों के समझोते एवं फैसला करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।
(झ) अध्यक्ष का निर्वाचन करना तथा इनके अधिकार एवं कर्तव्य घोषित करना, ट्रस्ट के संचालन हेतु आवश्यक समितिया या उपसमिति बनाना।
(ड.) ट्रस्ट का आयकर अधिनियम 1961 में पंजीयन करना तथा उससे संबंधित समस्त अन्य कार्यवाहिया करने का अधिकार रहेगा।
(ढ) जिनालय धर्मशाला, यात्री, आवास, खेल मैदान आदि धर्म विकास कार्य निर्माण करना, संरक्षित करना नव संचालन करना।
(ट) भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त राशि, भूमि या अन्य योजना इसी ट्रस्ट के अन्दर समाहित की जावेगी।
- (26) अंकेक्षण :-
ट्रस्ट के आय व्यय का अंकेक्षण किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म द्वारा प्रतिवर्ष कराया जावेगा।
- (27) विवाद :-
ट्रस्ट में आपसी मतभेद होने की दशा में ट्रस्टीज एवं प.पु.मुनिश्री अविचलसागरजी महाराज की सर्वानुमति से विवाद प्रकरण निपटार्ये जायेंगे, प.पु.मुनिश्री अविचलसागरजी महाराज का निर्णय आखरी होकर सब पर मान्य होगा।
- (28) विविध :-
(अ) ट्रस्टीज ट्रस्ट का कार्य बिना किसी मेहनताने के करेंगे।
(ब) इस लेख में जिन जिन बातों का समावेश नहीं है, वे सभी मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अनुसार बंधित रहेंगी।
(स) ट्रस्ट अन्य मामलों में जिनका प्रावधान यहाँ नहीं किया गया है, ट्रस्ट अधिनियम के नियम लागू होंगे।
(द) ट्रस्टीज इस ट्रस्ट को मध्यप्रदेश पब्लिक एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत करवायेंगे।
(इ) इस ट्रस्ट के विघटन की दशा में ०३० पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अनुसार ट्रस्ट की बची हुई संपत्तिया एवं निधि किसी दुसरे ऐसे ट्रस्ट को सौंप दी जावेगी, जिस ट्रस्ट के उद्देश्य इस ट्रस्ट के समान हो।

MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
P-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग मध्य प्रदेश

अतः उपरोक्त के प्रमाण स्वरूप आज दिनांक 08/12/2020 को यह न्यास घोषणा पत्र न्यास कर्ता ने स्वेच्छा पूर्वक शुद्ध एवं स्थिर, सही एवं मानसिक बुद्धि कि दशा में बिना किसी भावावेश में छल कपट, दोषे, भय, लालच आदि में आये बिना तैयार करवाया है तथा समझ लिया है व स्वीकृति प्रदान करते हुए निष्पादित कर पंजीयन करा रहे है।

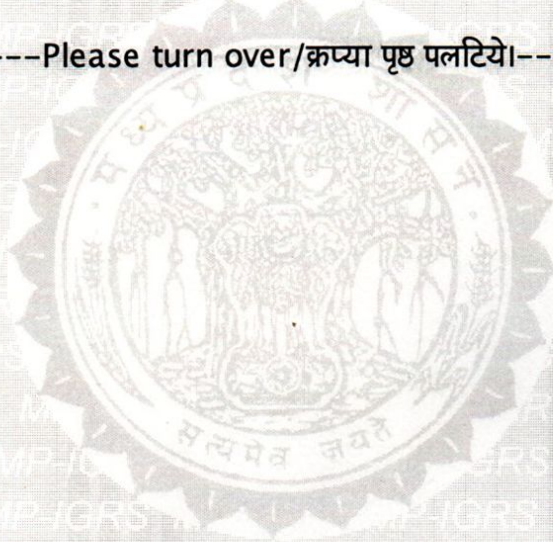
स्थान-उपपंजीयक कार्यालय दतिया हस्ताक्षर निष्पादनकर्ता

गबाह

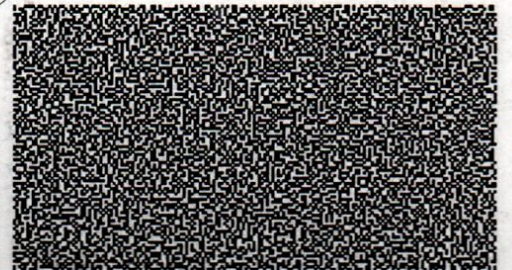
1. नीरज जैन आयु 46 वर्ष पुत्र श्री विजयकुमार जैन निवासी बुन्देला कालोनी दतिया तहसील ब जिला दतिया म०प्र०।

2. रामबाबू प्रजापति आयु 35 वर्ष पुत्र किशोरी प्रजापति निवासी उनाव रोड दतिया तहसील ब जिला दतिया म०प्र०

-----Please turn over/कृपया पृष्ठ पलटिये।-----



MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
P-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग मध्य प्रदेश

मैं/हम इस दस्तावेज के सभी पृष्ठों के विवरणों एवं प्रविष्टियों को, दस्तावेज के आईडी 20090808 तथा ई-स्टाम्प कोड 01010918122020008704 सहित, एतद् द्वारा अभिप्राणित एवं पुष्टि करते हैं, तथा मेरे/अपने निम्नांकित हस्ताक्षरों से इस दस्तावेज को निष्पादित भी करते हैं।

प्रथम पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर:
नाम तथा पिता का नाम:

(1) अनुपम चौधरी जैन पुत्र श्री एन. मार चौधरी
नि. 117-2, कुशलनगर, जंजीर-नगर सेफास पड़ाव
जवालिपूर तहसील व जिला जवालिपूर म.प्र.

द्वितीय पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर:
नाम तथा पिता का नाम: (2) शैलेंद्र जैन पुत्र श्री कृष्ण जैन
निवासी जाल्मामंडी गुराह जवालिपूर
तहसील व जिला जवालिपूर म.प्र.

अन्य पक्षकार/ पक्षकारों के हस्ताक्षर:
नाम तथा पिता का नाम: (3) भूपति जैन पुत्र श्री जलाल जैन
नि. जंगल भाई मोहनपुर संतरा गुराह
जवालिपूर तहसील व जिला जवालिपूर म.प्र.

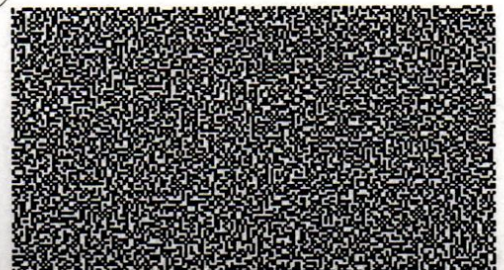
गवाह 1 का नाम
पता
हस्ताक्षर
आईडी का टाईप तथा नम्बर
शैलेंद्र जैन पुत्र श्री कृष्ण जैन
नि. 3-पेला-कोलोनी दरिया
तहसील व जिला दरिया म.प्र.

गवाह 2 का नाम
पता
हस्ताक्षर
आईडी का टाईप तथा नम्बर
शैलेंद्र जैन पुत्र श्री कृष्ण जैन
नि. 3-पेला-कोलोनी दरिया तहसील
व जिला दरिया म.प्र.

(1)

जवाहि

रामपूरा पुजापरी





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

पंजीकरण मुद्रा :

इस दस्तावेज का इलेक्ट्रॉनिक पंजीयन दिनांक 18/12/2020 को क्रमांक
MP09592020A1859048 दे कर किया गया है। जिसमें 26 पृष्ठ समाविष्ट हैं

स्टाम्प शुल्क 1000

पंजीयन शुल्क 500

प्रतिलिपि शुल्क 0

अधिक 0

योग 500

ANAND SHAROOP

SHRIVASTAVA

उप पंजीयक

उप पंजीयक कार्यालय दतिया

MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS
P-IGRS MP-IGRS MP-IGRS MP-IGRS

